



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या : 1153-प०एवंआर०-28/पाकालि/15-23 प०एवंआर०/2015,

दिनांक : 30 सितम्बर, 2015

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा,
केस्को, कानपुर।

मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/
मुख्य अभियन्ता (जानपद-वितरण/पारेषण),
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन दिस्तार,
लखनऊ।

विषय : पेन्शनर्स को देय चिकित्सा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के विभिन्न संवर्गों के सेवकों को उनके सेवानिवृत्त उपरान्त भी पेन्शन के अतिरिक्त चिकित्सा भत्ता उस दर से भुगतान किये जाने के आदेश किये गये थे, जिस दर पर वह ठीक सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त कर रहे थे। इसी क्रम में पूर्व में परिषदादेश संख्या-5652-डब्ल्यू०सी०/राविप (ओ०स०उन्नीस)८८-(१४) एफ/८६, दिनांक 28.02.1989 द्वारा परिषद के समस्त सेवानिवृत्त कार्मिकों की चिकित्सा भत्ता की दरें निम्नवत् पुनरीक्षित की गई थी :-

पेन्शनर की श्रेणी	चिकित्सा भत्ते की दर
वे जो रु० 1500/- तक की मासिक पेन्शन आहरित करते हैं।	पेन्शन का 6 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रु० 30/- और अधिकतम रु० 60/-
वे जो रु० 1501/- अथवा उससे अधिक की मासिक पेन्शन आहरित करते हैं।	पेन्शन का 4 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रु० 60/- और अधिकतम रु० 100/-

2. उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि० में कार्यरत समस्त कार्मिकों को कारपोरेशन आदेश संख्या : 519-का०वि०नि० एवं वे०प्र०-२९/पाकालि/2015-२७-पी/८८ दिनांक 04 जुलाई, 2015 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में, समान रूप से रु० 200/- प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता अनुमन्य कराया गया है।

3. उपरोक्त के क्रम में निदेशक मण्डल की दिनांक 08.09.2015 को सम्पन्न 118वीं बैठक में पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सम्प्रति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० तथा उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के समस्त सेवानिवृत्त कार्मिकों जिन्हें पेन्शन की अनुमन्यता है, को भी कारपोरेशन के सेवारत कार्मिकों की भाँति समान रूप से दिनांक 04.07.2015 से चिकित्सा भत्ता रु० 200/- प्रतिमाह की दर से सहर्ष अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

4. कृपया सम्बन्धित पेन्शनरों को तदनुसार चिकित्सा भत्ते का भुगतान करना सुनिश्चित करायें।

5. उपरोक्त व्यय कारपोरेशन के बजट के सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एच०पी० वर्मा)
अपर सचिव (तृतीय)

संख्या : 1153-पै0एवंआर0-28 / पाकालि / 2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
 2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
 3. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
 4. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
 5. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 6. समस्त मुख्य अभियन्ता, (स्तर- I एवं II), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
 7. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
 8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
 9. समस्त उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
 10. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 11. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 12. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, बी-17, जेओरोड, महानगर, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
 13. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
 14. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
 15. अनुसचिव (स0प्र0-लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 16. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
 17. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
 18. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 08 सितम्बर, 2015 को सम्पन्न 118वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
 19. अध्यक्ष, विद्युत पेन्शनर्स परिषद, उ0प्र0, लखनऊ 103, कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, 22 ऑफ स्टेशन रोड, छितवापुर भुइयन, लखनऊ।
 20. महासचिव, विद्युत पेन्शनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, 86 / 92-ख, रिसालदार पार्क, लखनऊ।
 21. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष स0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(एच०पी० वर्मा)
अपर सचिव (त्रुटीय)